

4 अर्न्तजातीय विवाह पुरस्कार Award for Intercaste Marriage

- उद्देश्य** छुआछूत की कुप्रथा को दूर करने के उद्देश्य से अर्न्तजातीय विवाह को प्रोत्साहन देना।
- सहायता** 50,000/—रु०
- पात्रता** सामान्य जाति के युवक/युवतियां, अनुसूचित जाति के युवक/युवतियों से कानूनी तौर पर विवाह करने के उपरान्त पुरस्कार हेतु पात्र है।
- प्रक्रिया** पात्र दम्पति को निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन के साथ, जाति प्रमाण पत्र, हिमाचली प्रमाण पत्र जो कार्यकारी दण्डाधिकारी से जारी हुआ हो तथा विवाह पंजीकरण अधिकारी से विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- सम्पर्क अधिकारी** सम्बन्धित जिला कल्याण अधिकारी/ तहसील कल्याण अधिकारी।